Bill No.- 15 of 2015

THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (DELHI AMENDMENT) BILL, 2015

A

Bill

to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. **Short title, extent and commencement. -** (1) This Act may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education (Delhi Amendment) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 8, in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. (hereinafter referred to as the principal Act).

after the clause (ii) of the explanation to clause (a) in section 8, the following clause shall be added, namely:-

"(iii) ensure achievement of class appropriate learning level by every child.

3. Amendment of section 16, in the principal Act,

in section 16, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that if a child has not achieved class appropriate learning level in a class, he may be held back in that class."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 provides right to all children to free and compulsory quality education but after the implementation of this Act some provisions are prohibiting quality education. No detention policy unto class 8^{th} is creating problems to such children who are not attaining minimum level of learning of appropriate class. These problems are realized when these children are essentially promoted to the next class.

It is proposed to bind the State Government to ensure quality education and to provide that children may not be promoted in higher classes unless they have acquired class appropriate learning level. Accordingly, sections 8 and 16 of the Act are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

Manish Sisodia
Minister of Education

Delhi

Date:-

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill does not involve any additional financial expenditure on the Government.

MEMORANDUM REGARDING DELEAGETD LEGISLATION

The Bill does not provide for delegation of legislative power on any subordinate authority.

2015 का विधेयक संख्या 15

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को, उसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 8 का संशोधन. – (जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है)

धारा 8 के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण के विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, नामतः–

"(iii) प्रत्येक बालक द्वारा कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त किये जाने को सुनिश्चित करने की, बाध्यता अभिप्रेत है;" ।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 का संशोधन. – मूल अधिनियम की धारा 16 के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, नामतः–

"परन्तु यदि किसी बालक ने किसी कक्षा में कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया है, तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकेगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार उपबंधित करता है किन्तु इस अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् ऐसा देखा गया है कि इस अधिनियम के कतिपय उपबंध गुण्वत्तापूर्ण शिक्षा को प्रतिषिद्ध कर रहे हैं । आठवीं कक्षा तक किसी एक कक्षा में न रोकने की नीति (No detention Policy) से ऐसे बालकों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो किसी कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर रहें हैं । ये समस्याएं तब महसूस होती हैं जब इन बालकों को अगली कक्षा में आवश्यक रूप से प्रोन्नत कर दिया जाता है ।

यह प्रस्तावित है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए कि बालकों को तब तक उच्चतर कक्षाओं में प्रोन्नत न किया जाये जब तक कि उन्होंने उस कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त न कर लिया हो, राज्य सरकार को पाबंद किया जाये । तदनुसार, अधिनियम की धारा 8 और 16 संशोधित की जानी प्रस्तावित है ।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है ।

अतः विधेयक प्रस्तुत है ।

मनीष सिसोदिया
शिक्षा मंत्री/उपमुख्यमंत्री

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक में सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय निहित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

इस विधेयक में किसी अधीनस्थ अधिकारी को किसी विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन की व्यवस्था नहीं है।